25/17

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम राज0 सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 5/2025 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08.04.2025	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत जरिये अभिभाषक श्री राजेन्द्र यादव द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 25/4/25 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
	25/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
	15/5/25	उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य — ....हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/5/25 को पेश हो। (रीडर)	
	21/5/25	उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य — ....हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 22/5/25 को पेश हो। (रीडर)	
	22/5/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस में अपनी बहस सुनाई। वकील प्रार्थी की बहस तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 05/20245

उनवान

1. राधेश्याम यादव पुत्र श्री सुन्दरलालयादव जाति अहीर निवासी विशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित 1 श्री राजेन्द्र यादव प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक :- 22/5/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर ट के तहत पेश किया गया कि यह कि प्रार्थी का ग्राम विशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ज. का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के पिता सुन्दर लाल के हिस्से में साबिक खसरा नंबर 2494 बा 0.36 हैक्ट0 खसरा नंबर 2498 रकबा 0.040 हैक्ट0 753 रकबा 0.72 हैक्ट0 755 रकबा 0.46 ट0 2507 रकबा 0. 40 हैक्ट0 2508 रकबा 0.85 हैक्ट0 673 रकबा 0.07 हैक्ट0 754/2 रकबा 0. हैक्ट0 कुल किता 08 कुल रकबा 3.15 हैक्ट. भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता रा वर्ष 2002 के लगभग साबिक खसरा नंबर 754 रकबा 0.31 हैक्ट. मे से हिस्सा 0.06 हैक्ट. भूमि उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड बिशनगढ़ के नाम से बेचान कर दी गई थी। इसके उपरान्त कारी समिति द्वारा उक्त भूमि को परिवर्तन करा कर उक्त खसरा नंबर 754 में से अपना खसरा लग करवा कर एक नया नंबर खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.06 हेक्ट. करवा लिया एवं बाकी बा प्रार्थी के पिता के नाम से यथावत रह गया जो कि खसरा नंबर 754/2 रकबा 0.25 हैक्ट. हो ा एंव प्रार्थी के पिता के कुल भूमि 3.15 हैक्ट, रह गई। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी प्रार्थी के भाईयो द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से मे आई भूमि की रकबो अनुसार नाप जोख कराने पर प्रार्थी को पता चला कि हाल आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 6 हेक्ट. भूमि जो रिकार्ड के अनुसार 0.06 हैक्ट. भूमि आनी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मचारियो लिपिकिय त्रुटिवशः उक्त खसरा नंबर 754/1 मे नक्शा तरमीम करते हुये त्रुटिवशः उक्त खसरे 0.06 हैक्ट के बजाय नक्शे में 0.09 हैक्ट0 कर दिया। जिसको दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं यसंगत है। प्रार्थी को जब इस बात का पता चला तो प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर त्रुटि को दूर कराने का कई मर्तबा निवेदन किया किन्तु राजस्व कर्मचारीयो द्वारा यह कहकर लमटोल करते रहे कि आप जाओ हम आपकी जो नक्शे की त्रुटि है उसको सही कर देगे किन्तु ज दिनांक तक भी राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त लिपिकिय त्रुटि को सही नहीं किया गया। इस रण मान्य न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। राजस्व कर्मचारियो रा हाल आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.06 हैक्ट, मे नक्शा तरमीम करते वक्त लिपिकिय टिवस 0.03 हैक्ट. बढा दिया इसलिये हाल आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 0. 06 हैक्ट. मे ल जमाबंदी के रकबे के अनुसार नक्शा की तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं यसंगत है। प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है एवं अपने मौके पर ना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।जब प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो द्वारा पसी सहमति से बंटवारा कराने के बाद अपने हिस्से में आई भूमि को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा रमीम करने पर उक्त लिपिकिय त्रुटि का पता चला तथा पता चलने पर श्रीमान के समक्ष यह

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

ना पत्र बिना किसी देरी के पेश किया है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है।अन्त में प्रार्थी ने निवेदन
। कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 0. 06 हैक्ट. मे नक्शा
मेन करते वक्त लिपिकिय त्रुटिवश नक्शे के क्षेत्रफल में बढाते हुये 0.06 की बजाय तलमिन करते
0.09 हैक्ट. कर दी गई इसलिये हाल आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.06 हैक्ट. मे हाल
बंदी में रकबा 0.06 हैक्ट. के अनुसार नक्शा की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड
मल दरामद किया जावे एवं अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हक मे हो दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की
से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2025/2077 दिनांक 14.5.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर जाहिर
। कि आराजी खसरा नम्बर 754/1 रकबा 0.06 है0 की तरमीम सेसबंधित है जिसकी पूर्व में
खसरा नम्बर 754 रकबा 0.31 है0था जो बंटवारे द्वारा ख0नं0 754/1 रकबा 0.06 है व 754/2
। 0.25 है0 बने। वर्तमान नक्शे अनुसार ख0नं0 754/1 का रकबा बरारी करने पर 0.06 है0 से
ज आता हैतथा ख0नं0 754/2 से बने नये खसरा नम्बर 3784/754, 3791/754,
/754, 3789/754, 3783/754, 3785/754,3786/754, 3787/754, 3788/754 कुल किता
है जिनका रकबा बरारी करने पर 0.25 हे0 से कम आता है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई
ल प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा तहसीलदार
रा से प्राप्त रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर आराजी खसरा नम्बर 754/1 रकबा 0.06 है0
नुसार नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया
प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन किया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त
से यह साबिक होता है कि आराजी ख0नं0 754/1 रकबा 0.06 है0 जो राजस्व रिकार्ड में है
रकबा बरारी पर 0.06 है0 से ज्यादा रकबा आता है तथा ख0नं0 754/2 से बने नये खसरा
न का रकबा बरारी करने पर ज्यादा रकबा आता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र
होने से आराजी खसरा नम्बर 754/1 रकबा 0.06 है0 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार
नक्शे में 0.06 है0 की तरमीम करने तथा बढा हुआ रकबा आराजी खसरा नम्बर 754/2 से
नये खसरा नम्बर 3784/754, 3791/754, 3790/754, 3789/754, 3783/754,
/754,3786/754, 3787/754, 3788/754 में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
रा को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के
आराजी खसरा नंबर 754/1 रकबा 0.06 है0 जो राजस्व रिकार्ड में है तथा नक्शे से रकबा
पर 0.06 है0 से ज्यादा रकबा आता है को दुरूस्त कर राजस्व नक्शा ट्रेस में 0.06 है0 करने
ख0नं0 754/2 रकबा 0.25 है0 से बने नये खसरा नम्बर 3784/754, 3791/754,
/754, 3789/754, 3783/754, 3785/754,3786/754, 3787/754, 3788/754 जिनका
बरारी करने पर 0.25 है0 से कम आता है को तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
है0 राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को
नुसार पालना करने हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा (जयपुर) राज